

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 02-04-25

संख्या-V/उ0-2-02/2022-1718/ विभागीय संकल्प संख्या 1733 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा बिहार राज्य में नीरा उत्पाद और बिक्री को बढ़ावा देने एवं खमीरयुक्त ताड़ के रस के उत्पाद एवं उपभोग को हतोत्साहित करने के उद्देश से "मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना माह अप्रैल, 2025 से लागू किया जाना है।

2. उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन एवं सुचारु रूप से पर्यवेक्षण करने हेतु मुख्यालय स्तर के मद्यनिषेध पदाधिकारियों को निम्नलिखित रूप से जिला आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	आवंटित जिला
1	श्री कृष्ण कुमार	संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध	अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
2	श्री विकास कुमार	उपायुक्त मद्यनिषेध	पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, बांका
3	श्री संजय कुमार	उपायुक्त मद्यनिषेध	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	उपायुक्त मद्यनिषेध	पटना, अरवल, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, वैशाली, छपरा
5	श्री आदित्य कुमार	विशेष अधीक्षक मद्यनिषेध	सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा

3. उपर्युक्त पदाधिकारी अपने आवंटित जिला में जीविका एवं स्थानीय पदाधिकारियों से समन्वय हेतु भ्रमण कर योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा इस योजना की प्रगति से आयुक्त उत्पाद को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

4. इससे संबंधित अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे तथा आयुक्त उत्पाद की अनुमति प्राप्त कर ही अपने आवंटित जिला का भ्रमण करेंगे।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- V/उ0-2-02/2022 1718

/पटना, दिनांक -02-04-25

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- V/उ0-2-02/2022 1718

/पटना, दिनांक -02-04-25

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिविका, बिहार, पटना/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- V/उ0-2-02/2022 1718

/पटना, दिनांक -02-04-25

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (उत्पाद पक्ष) एवं विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव